

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-404 / 2025

- 1 भैरवसिंह पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 राहुल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-वादीगण

बनाम

- 1 कमलादेवी पत्नी श्री मोटाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 विनोद पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 सुमन पुत्री मोटाराम जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 सुरजमुखी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 5 निर्मला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 6 रविन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 7 संदीप पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 8 सरस्वती पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. सुनिता पत्नी हरीश कुमार पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी नागोकी पो. ऑ. नागोकी तहसील व जिला सिरसा।
10. ईशा पत्नी मोहनसिंह पुत्री जयलाल जाति जाट निवासी मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
- 11 आलोक कुमार पुत्र सरोज पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी 10डी.बी.एल. डबलीकला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 12 अरुण कुमार पुत्र सरोज पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी 10 डी. बी. एल.डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक..23/9/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अनिल सिडाना व प्रतिवादी वकील नरेन्द्र कुमार चिनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राजीनमा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक केहरवाला बरानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 के खाता स० 52/46 में वर्णित आराजी के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-2, 6 व 7 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक चक केहरवाला बरानी के जमाबंदी संवत 2075 ता 78 के खाता स० 52/46 में प्रतिवादी स० 1,3,4,5,8,9,10 व स्व० नारायण पुत्र गणेशा का नाम के लमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते

उप अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/9/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (सत्यनारायण R.A.S)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बा।